

मिसिल संख्या- 18-2/2022-हिन्दी/के.स.स्वा.यो.(मु.)/ 2183-93

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अपर निदेशक (मु.) का कार्यालय

के.स.स्वा.यो. (मु.), के.स.स्वा.यो. भवन,

रामकृष्ण पुरम्, सैक्टर-13, नई दिल्ली- 110066

दिनांक-

19/07/2023

विषय- केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में कनिष्ठ अनुवादक एवं वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक पदों के सापेक्ष क्रमशः एक सेवानिवृत्त कनिष्ठ अनुवादक तथा एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के पूर्णतः संविदात्मक आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन के संबंध में।

कृपया उक्त विषयक सेवानिवृत्त कनिष्ठ अनुवादक एवं वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के संविदात्मक आधार पर नियुक्ति हेतु संलग्न विज्ञापन सामग्री एवं आवेदन प्रपत्र ग्रहण करें। यह आग्रह किया जाता है कि उक्त विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र को अपने प्रशासनिक कार्यालयों एवं अधीन औषधालयों के सूचना पट्ट पर चस्पा करवाया जाए तथा यह विज्ञापन आवेदन प्रपत्र सहित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाए। विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र की सॉफ्ट कॉपी ई-मेल द्वारा प्रेषित की जा रही है।

आवेदन की अंतिम तिथि व समय, आवेदन के वेबसाइट पर अपलोड होने से 30 दिन तक होगा।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

डॉ. मनोज जैन
10/7/2023

(डॉ. मनोज जैन)

अपर निदेशक, के.स.स्वा.यो. (मु.)

सेवा में,

1. अपर निदेशक, के.स.स्वा.यो., पूर्वी अंचल/ केन्द्रीय अंचल/ उत्तरी अंचल/ दक्षिणी अंचल/ एमएसडी।
2. नोडल अधिकारी, एम.सी.टी.सी. के.स.स्वा.यो., द्वितीय तल, साउथ मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ईस्ट किडवर्ड नगर, नई दिल्ली- 110023/ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, निर्माण भवन को संलग्न विज्ञापन एवं आवेदन प्रारूप को के.स.स्वा.यो. की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।

सूचनार्थ प्रतिलिपि,

1. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. निदेशक के निजी सचिव, के.स.स्वा.यो., निर्माण भवन।
3. प्रभारी हिन्दी अधिकारी, हिन्दी अनुभाग, के.स.स्वा.यो. (मु.), आर. के. पुरम, सै-13, नई दिल्ली।
4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, के.स.स्वा.यो. (मु.), आर. के. पुरम, सै-13, नई दिल्ली।
5. वेतन एवं लेखा अधिकारी, के.स.स्वा.यो., न्यू राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली।

डॉ. मनोज जैन

(डॉ. मनोज जैन)

अपर निदेशक, के.स.स्वा.यो. (मु.)

मिसिल संख्या- 18-2/2022-हिन्दी/के.स.स्वा.यो.(मु.)/ 2183-93

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
अपर निदेशक (मु.) का कार्यालय
के.स.स्वा.यो. (मु.), के.स.स्वा.यो. भवन,
रामकृष्ण पुरम्, सैक्टर-13, नई दिल्ली- 110066
ई-मेल: adhq.dl@cghs.nic.in, दूरभाष: 011-20863441

दिनांक- 19/07/23

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में एक सेवानिवृत्त कनिष्ठ अनुवादक तथा एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक की पूर्णतः संविदात्मक आधार पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और स्वायत्त निकायों से सेवानिवृत्त हुए कनिष्ठ अनुवादकों एवं वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों से निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अधीन कनिष्ठ अनुवादक एवं वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक पद पर संविदात्मक आधार पर नियुक्ति हेतु 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या नियमित पदधारी द्वारा पद भरे जाने तक, जो भी पहले होगा, आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1.	उम्र	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की वेबसाइट पर विज्ञापन अपलोड किये जाने की तिथि को 64 वर्ष से अधिक नहीं।
2.	शैक्षिक योग्यता	जो क्रमशः कनिष्ठ अनुवादक एवं वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक के नियमित भर्ती हेतु विद्यमान भर्ती नियम के अनुसार आवश्यक है। अथवा केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के अंतर्गत मंत्रालय/विभाग या उनके अधीन किसी संबद्ध/स्वायत्त कार्यालय/ पीएसयू संगठन से सेवा-निवृत्त अनुवादक/ अधिकारी अथवा केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग से इतर किसी अन्य संवर्ग में सेवा-निवृत्त राजभाषा अधिकारी अथवा अनुवादक।
3.	मासिक पारिश्रामिक	अंतिम आहरित वेतन घटाव निर्धारित पेंशन दिया जाएगा।
4.	नियुक्ति की अवधि	नियुक्ति की तिथि से 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए या नियमित पदधारी द्वारा पद भरे जाने तक, जो भी पहले होगा। नियुक्ति का कार्यकाल 1 (एक) वर्ष से अधिक विस्तारित नहीं होगा।
5.	रिक्ति की संख्या	01 (एक) पद- सेवानिवृत्त कनिष्ठ अनुवादक, 01 (एक) पद- सेवानिवृत्त वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक
6.	नियुक्ति का स्थान	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली
7.	नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा	सेवानिवृत्त कनिष्ठ अनुवादक एवं सेवानिवृत्त वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक की नियुक्ति हेतु सभी वर्गों के लिए अधिकतम आयु-सीमा 64 वर्ष होगी।
8.	अन्य भत्ते	संविदात्मक आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त कनिष्ठ अनुवादक एवं सेवानिवृत्त वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक सेवा के दौरान कोई वेतन वृद्धि एवं महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा परिवहन भत्ता देय नहीं होगा।
9.	परिवहन भत्ता	संविदात्मक आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त कनिष्ठ अनुवादक एवं सेवानिवृत्त वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक सेवा के दौरान उचित एवं निश्चित परिवहन भत्ता, यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कोई नियत किया जाता है तो, दिया जाएगा, जो कि संविदात्मक नियुक्ति अवधि के दौरान अपरिवर्तनीय रहेगा।
10.	अवकाश	संविदात्मक आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त कनिष्ठ अनुवादक एवं सेवानिवृत्त वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक को समानुपातिक आधार पर 01 (एक) वर्ष की सेवा अवधि में, प्रत्येक माह की सेवा के लिए 1.5 दिन का अवकाश देय होगा। समानुपातिक आधार पर देय अवकाश से अधिक दिनों में अनुपस्थित रहने पर कोई पारिश्रामिक देय नहीं होगा तथा एक कैलेंडर वर्ष के परे देय अवकाश का संवयन नहीं होगा।

11.	उत्तरदायित्व व कर्तव्य	(अ)कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, अधिसूचनाएं, आरटीआई, कार्यवृत्त आदि पत्रों का अंग्रेजी से हिंदी व हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना। (ब) संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के अंतर्गत विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट का संकलन एवं समीक्षा करना तथा राजभाषा विभाग को प्रस्तुत करना। (स) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का आयोजन एवं कार्यवृत्त तैयार करना। (द) वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट राजभाषा विभाग को प्रस्तुत करना।
12.	नियम व शर्तें	सेवानिवृत्त कनिष्ठ अनुवादक एवं सेवानिवृत्त वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक की संविदात्मक नियुक्ति एवं उसकी निरंतरता, यदि कोई हो, केवल विभाग के नियमों व शर्तों द्वारा शासित होगी।

इच्छुक आवेदक अनुलग्नक में दिये गये आवेदन प्रपत्र को विधिवत भरकर सभी आपेक्षित स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की वेबसाइट पर विज्ञापन अपलोड होने के 30 दिनों के भीतर (अपलोड करने के दिन सहित) अपर निदेशक (मु.) का कार्यालय, के.स.स्वा.यो. (मु.), के.स.स्वा.यो. भवन, रामकृष्ण पुरम्, सैक्टर- 13, नई दिल्ली- 110066 पर भेज सकते हैं। आवेदक भेजे जाने वाले लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से "संविदा आधार पर सेवानिवृत्त कनिष्ठ अनुवादक/ सेवानिवृत्त वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक की संविदात्मक आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन" अवश्य लिखें।

आवेदन के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेज-

1. पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की स्व प्रमाणित प्रति।
2. संलग्न आवेदन प्रपत्र में भरे जाने वाली जानकारियों के सापेक्ष सहायक दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतियां। (सभी अंकपत्र व प्रमाण पत्र, पहचान पत्र आदि समस्त दस्तावेज)

मो. जैन

(डॉ. मनोज जैन)

अपर निदेशक, के.स.स्वा.यो. (मु.)

आवेदन प्रपत्र

1. पूरा नाम :
2. पिता का नाम:
3. माता का नाम:
4. आवेदित पद :
5. जन्म तिथि :
6. लिंग :
7. शैक्षिक योग्यता :
8. पत्राचार हेतु पता :
9. ई-मेल तथा मोबाइल नम्बर :
10. पद का नाम जिससे सेवानिवृत्ति प्राप्त की:
11. प्रदान की गई सेवा का विवरण :
12. सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति की तिथि :
13. पी.पी.ओ. संख्या :
14. प्रशिक्षण, यदि कोई हो :
15. पद पर रहने के दौरान अनुवाद एवं राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी कार्यों के अनुभव का ब्यौरा:

फोटो
(स्वप्रमाणित)

दिनांक:

हस्ताक्षर:
आवेदक का नाम:
मो.न.